कार्यालय नगर परिषद्, बाड़मेर (राज०)

क्रमांकःएफ–9(71/2019)/निर्माण स्वीकृति/2019/ 5260 दिनांक : 16/5/19

श्री प्रकाशचन्द्र पुत्र श्री भंवरलाल जैन व
श्रीमति शान्तिदेवी पत्नि श्री प्रकाशचन्द
शरणार्थी क्वार्टर के पास, चौहटन रोड़,
बाड़मेर।

विषय :– व्यावसायिक भवन निर्माण स्वीकृति।
प्रसंग :– आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 08.12.2017।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको संलग्न मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती हैं–

1. भवन निर्माण में फ्लश शौचालय का ही निर्माण करायेगा।
2. शौचालय का सेप्टिक टैंक अपनी ही भूमि में निर्मित करें कनेक्शन सिवरेज लाईन में अपने स्तर पर करवाया जावें।
3. भवन के बाहर परिषद् भूमि पर छज्जा/बालकनी मान्य नहीं हैं।
4. नगर परिषद् द्वारा निर्धारित ले आऊट स्वीकृत बिल्डिंग लाईन के अनुसार भवन का निर्माण किया जावें।
5. भवन का पिलिन्थ नियमानुसार ऊँचाई रखी जावें एवं सार्वजनिक मार्ग पर पावटिया (स्टेयर) निर्मित नहीं किया जावें।
6. आवासीय प्रयोजनार्थ सिढ़ियों की चौड़ाई 1.2 मीटर एवं गलियारें की न्यूनतम चौडाई 1.5 मीटर तथा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सिढ़ियों वा गलियारें की न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर रखा जाना हेतु बाध्य रहेगें।
7. पार्किंग हेतु प्रस्तावित रैम्प का ढ़ाल 1 : 8 से अधिक नहीं होगा।
8. शौचालय/मूत्रालय की संख्या एन.बी.सी. के अनुसार किये जाने हेतु बाध्य रहेगें।
9. एन.बी.सी. के प्रावधानों के अनुसार के अनुसार भवन निर्माण में अग्निशमन एवं भूकम्परोधी प्रावधानों की सुनिश्चितता करने हेतु बाध्य रहेंगें।
10. भवन भूकम्परोधी हो यह सुनिश्चित करने के लिये नवीनतम राष्ट्रीय भवन संहिता के प्रावधानुसार भूकम्परोधी सभी उपाय किये जाये।
11. भवन निर्माण योग्य एवं पंजीकृत वास्तुविद एवं इंजीनियर की देख–रेख में कराया जावें तथा भवन संरचनात्मक दृष्टि से सुरक्षित हो यह प्रार्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। जिस पंजीकृत वास्तुविद एवं इंजीनियर की देख–रेख में करवाया जा रहा हैं, की सूचना कार्य पूर्ण होने से पूर्व परिषद् को उपलब्ध करानी होगी।
12. भवन निर्माणकर्त्ता द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलवा अथवा बिल्डिंग मैटेरियल सड़क पर नहीं डाला जावेगा, यदि किसी भी प्रकार का मलवा अथवा बिल्डिंग मैटेरियल भू–स्वामि द्वारा सड़क पर डाला जाता हैं, तो भवन को सीज करके बिल्डिंग मैटेरियल जब्त किया जा सकेगा एवं भवन निर्माण स्वीकृति निरस्त की जा सकती हैं।
13. भवन निर्माण पूर्ण होने पर राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत नगर परिषद् को सूचित किया जावें।
14. भवन पूर्ण होने के 05 दिन की अवधि के अन्दर–अन्दर नगर परिषद् भूमि से मलबा उठाना होगा।
15. उक्त स्वीकृति पांच वर्ष के लिये 1910.67 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्माण हेतु प्रभावशील रहेगी।
16. सघन आवादी भवन विनियम 2016 अनुसार उक्त भवन के अग्र भाग में 6 मीटर, शेष तीनों भागों में 03–03 मीटर का सैट बैक छोड़ा जाना अनिवार्य होगा व पार्किंग एरिया का निर्माण भी उक्त सैट बैक के पश्चात् किया जावें।

Scanned with CamScanner

17. विशेष योग्यजनों के लिए सुविधा हेतु एकीकृत भवन विनियम – 2017 के बिन्दु संख्या 12 के लागू प्रावधानों यथा प्रवेश– पथ, वाहन ठहराव पार्किंग स्थल, कुर्सी तल तक पहुंच मार्ग, प्रवेश/निकास द्वार को जोड़ने वाला गलियारा, लिफ्ट, शौचालय व पेयजल इत्यादि की सुनिश्चितता की जाने हेतु बाध्य रहेंगें।

18. उक्त स्वीकृति व्यावसायिक/आवासीय प्रयोजनार्थ मात्र हैं।

19. सम्पूर्ण ऊँचाई जी (व्यावसायिक 229.83 वर्गमीटर एवं शेष आवासीय) + 3 (आवासीय) से अधिक नहीं होगी।

20. भवन का निर्माण अनुमोदित नक्शा व सघन आबादी भवन विनियम अनुसार किये जाने हेतु बाध्य रहेगें।

21. निर्धारित सड़क व बिल्डीग लाईन कायम रखने हेतु बाध्य रहेगें।

22. वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने स्तर पर लगाकर परिषद् को सूचित करना होगा।

23. वर्षा जल संग्रहण हेतु टांका निर्माण करवाने हेतु बाध्य रहेगें।

24. भवन संचालित किये जाने से पूर्व भवन की आगजनी से सुरक्षा हेतु फायर एक्स्टीगयूसर संयन्त्र स्वंय के स्तर पर लगाकर परिषद् से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही भवन का संचालन किया जावें।

25. स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध/खिलाफ निर्माण होने की स्थिति में परिषद् अवैध निर्माण को हटाने हेतु स्वतन्त्र रहेगी।

संलग्न – स्वीकृत प्लान की प्रति।

आयुक्त
नगर परिषद्, बाड़मेर

क्रमांक : एफ–9 (71/2019)/निर्माण स्वीकृति/ 2019/ दिनांक : ....

प्रतिलिपी : निम्न को पालनार्थ प्रस्तुत हैं –

1. राजस्व अधिकारी, नगर परिषद् बाड़मेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त निर्मित होने वाले भवन का समय–समय पर निरीक्षण किया जावें एवं यदि निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण किया जावें, तो तुरन्त अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावें।
2. स्वच्छता निरीक्षक द्वितीय, नगर परिषद् बाड़मेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि यदि निर्माण स्वीकृति के विपरीत किया जावें, तो तुरन्त अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावें।

आयुक्त
नगर परिषद्, बाड़मेर

Scanned with CamScanner

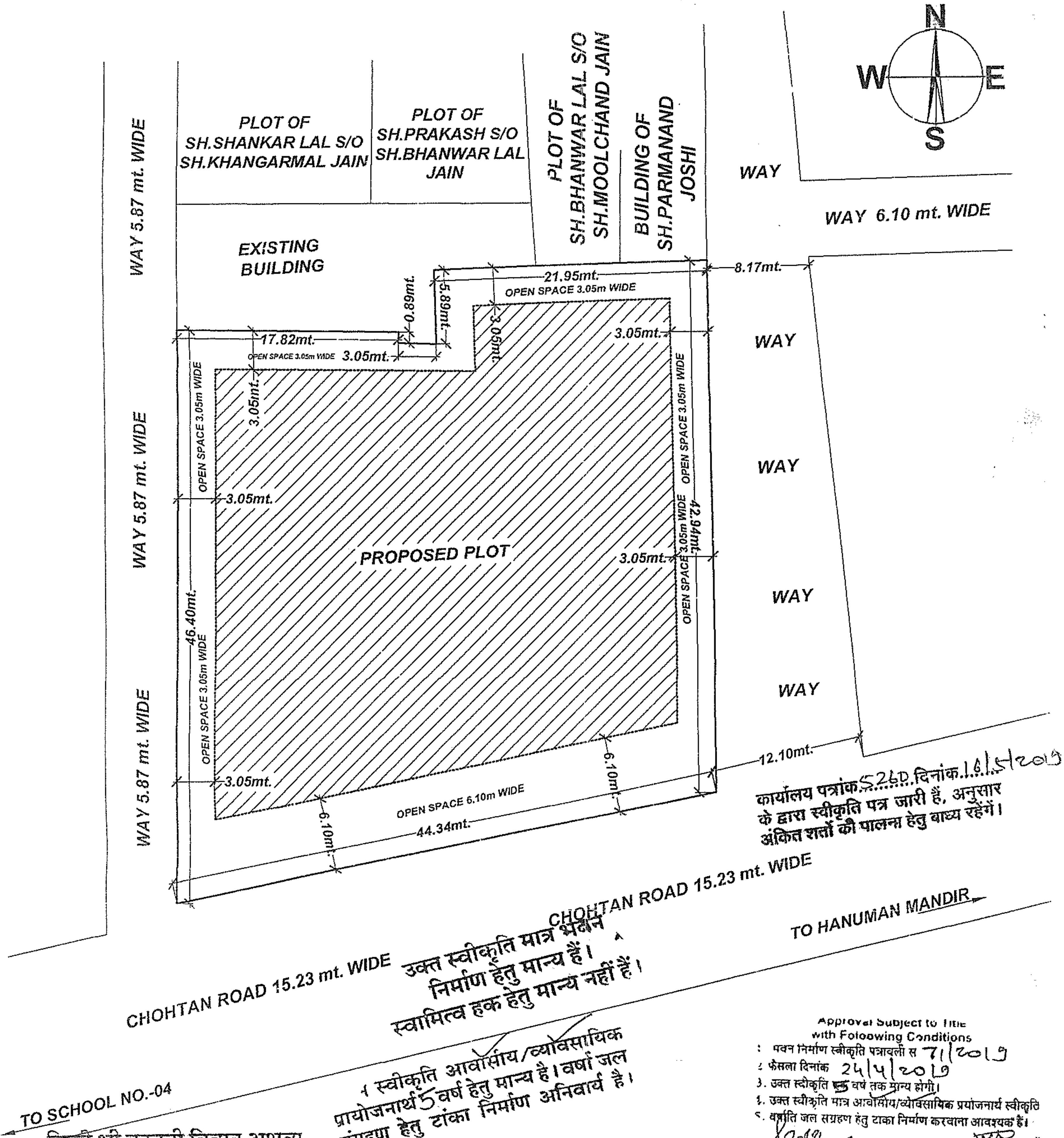

PROPOSED SITE PLAN OF SH.PRAKASH CHAND S/O SH.BHANWAR LAL JAIN AT,CHOHTAN ROAD,OPP.DENA BANK, BARMER SCALE - 1:350

PROPOSED PLOT

WAY

TOTAL PLOT AREA - 20566.27 Sq.Ft.(1910.67) Sq.Mt.
(2285.14 Sq.Yrd.)

0400864

PREPARED BY
BHUVNESH SHARMA
PLANNER,DESIGNER & VASTU CONSULTANT
RUDRA CREATIONS
BEHIND POLICE KOTWALI BARMER
MOB.- +91-9414107454

104

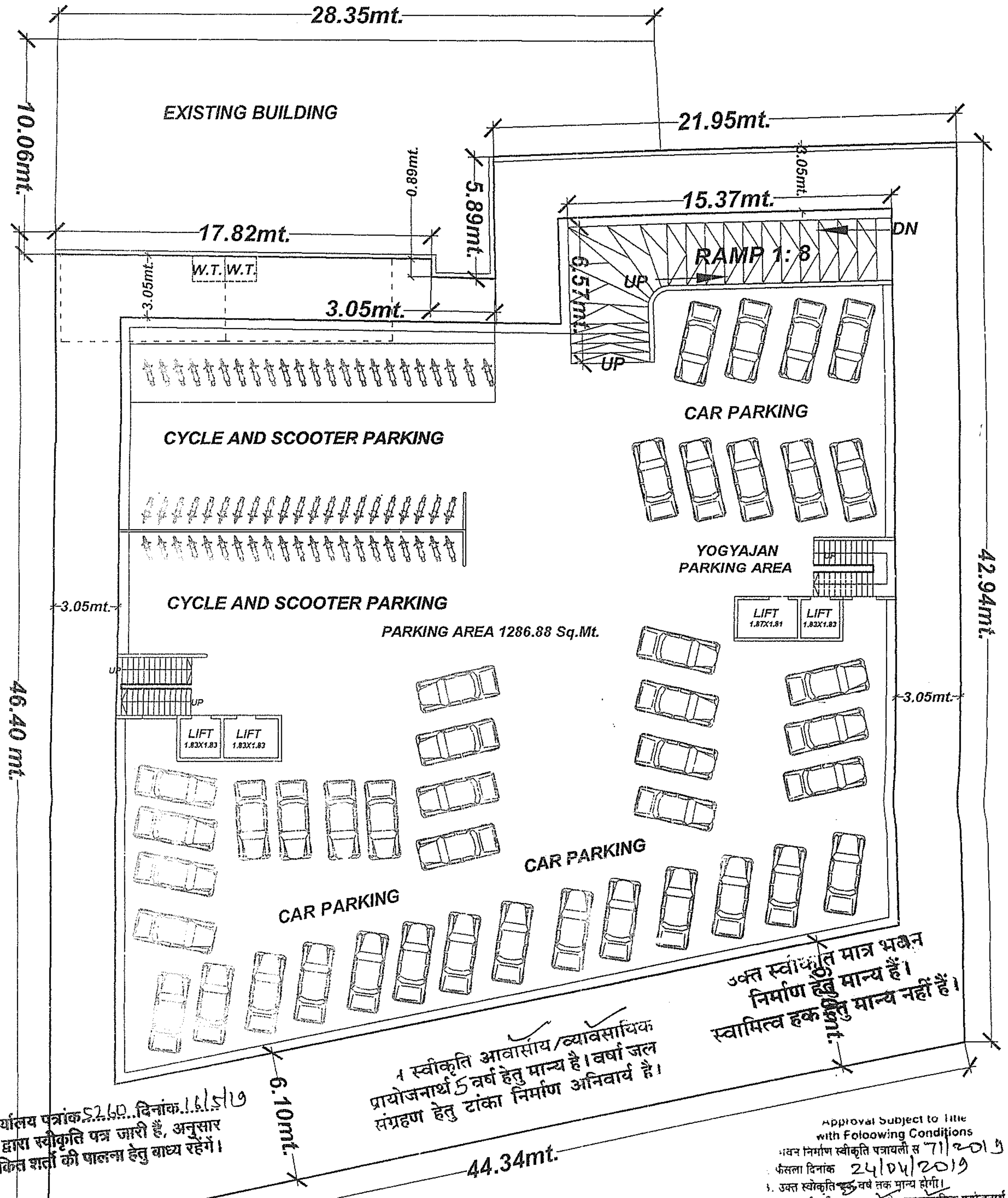

उक्त स्वीकृति मात्र भवन
निर्माण हेतु मान्य हैं।
स्वामित्व हक हेतु मान्य नहीं हैं।

। स्वीकृति आवासीय/व्यावसायिक
प्रायोजनार्थ 5 वर्ष हेतु मान्य है। वर्षा जल
संग्रहण हेतु टांका निर्माण अनिवार्य है।

कार्यालय पत्रांक 5260 दिनांक 1.6.5.17
के द्वारा स्वीकृति पत्र जारी हैं, अनुसार
अंकित शर्तों की पालना हेतु बाध्य रहेंगें।

किसी भी कानूनी विवाद अथवा
अन्य विवाद हेतु आवेदक स्वयं
ही जिम्मेदारी रहेगी।

BASMENT PLAN(PARKING)

Approval Subject to Title
with Foloowing Conditions
भवन निर्माण स्वीकृति पत्रावली स 71/2019
फैसला दिनांक 24/04/2019
1. उक्त स्वीकृति 5 वर्ष तक मान्य होगी।
2. उक्त स्वीकृति मात्र आवासीय/व्यावसायिक प्रयोजनार्थ स्वीकृति
3. वर्षा जल संग्रहण हेतु टांका निर्माण करवाना आवश्यक है।

कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका, बाड़मेर

आयुक्त
नगरपालिका, बाड़मेर

PROPOSED COMMERCIAL & RESIDENTIAL BUILDING PLAN OF SH.PRAKASH CHAND S/O SH.BHANWAR LAL JAIN AT,CHOHTAN ROAD,OPP.DENA BANK,BARMER

SCALE - 1:200

TOTAL PLOT AREA - 20566.95 Sq.Ft.(1910.67) Sq.Mt.
(2285.21 Sq.Yrd.)
BASMENT PARKING AREA - 1286.88 Sq.Mt.

(SIGNATURE MUNICIPAL BOARD)

SIGNATURE OF OWNER

02/00664

PREPARED BY
BHUVNESH SHARMA
PLANNER,DESIGNER & VASTU CONSULTANT
RUDRA CREATIONS
BEHIND POLICE KOTWALI,BARMER
MOB.- +91-9414107454

(105)

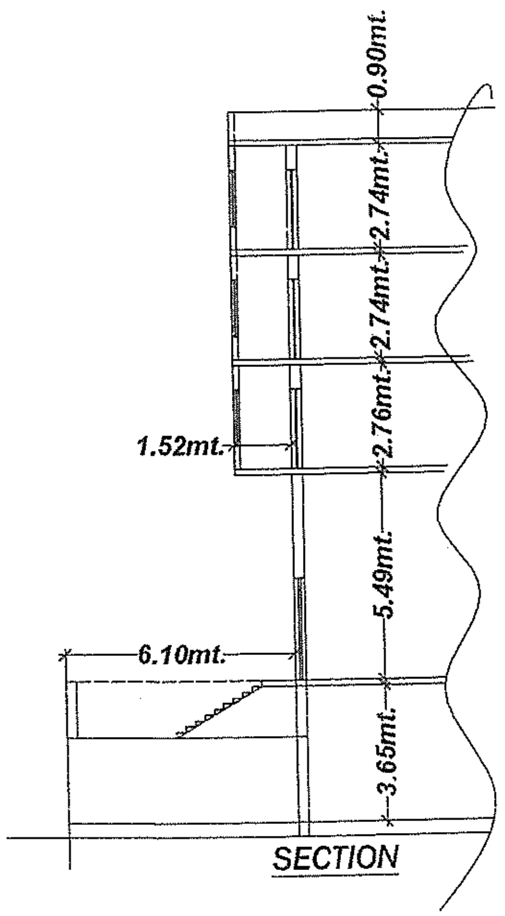

SECTION

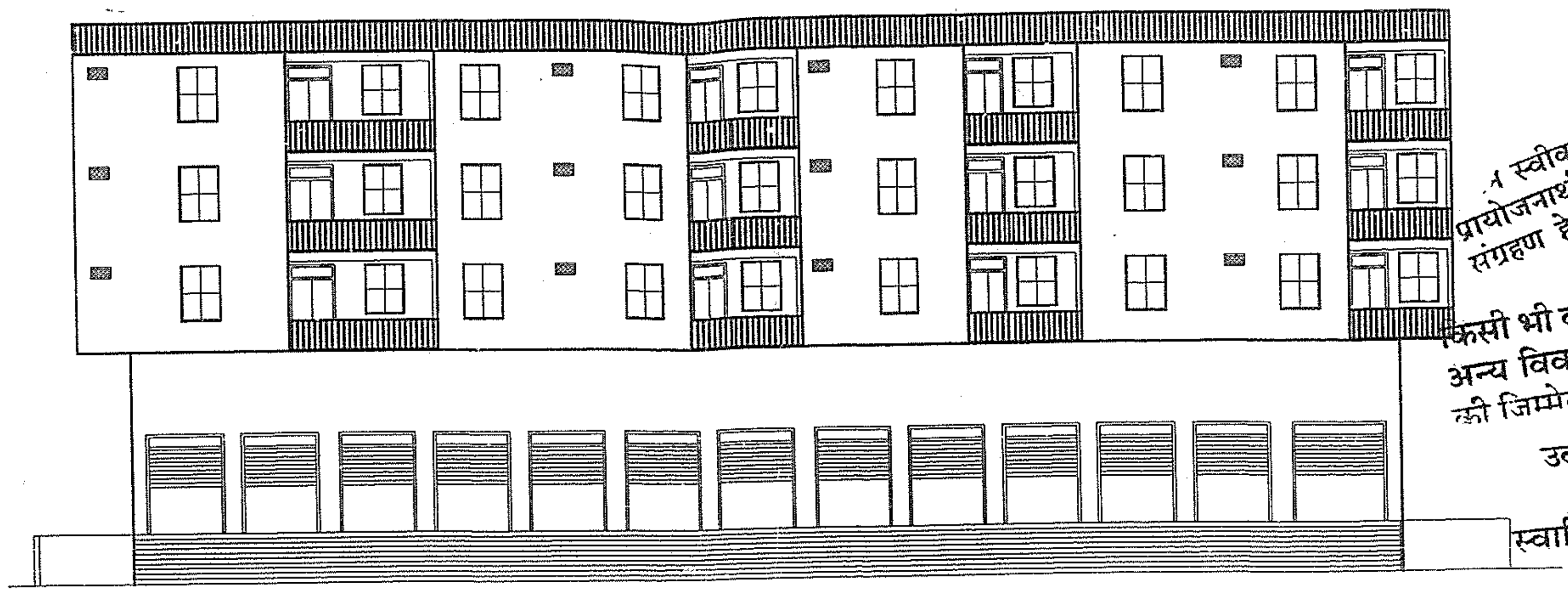

FRONT ELEVATION

उक्त स्वीकृति आवासीय/व्यावसायिक प्रायोजनार्थ 5 वर्ष हेतु मान्य है। वर्षा जल संग्रहण हेतु टांका निर्माण अनिवार्य है।

किसी भी कानूनी विवाद अथवा अन्य विवाद हेतु आवेदक स्वयं की जिम्मेवारी रहेगी।

उक्त स्वीकृति मात्र भवन निर्माण हेतु मान्य हैं। स्वामित्व हक्क हेतु मान्य नहीं हैं।

कार्यालय पत्रांक 5260 दिनांक 16/5/17 के द्वारा स्वीकृति पत्र जारी हैं, अनुसार अंकित शर्तों की पालना हेतु बाध्य रहेंगें।

Approval Subject to Title
with Foloowing Conditions
भवन निर्माण स्वीकृति पत्रावली स 71/2017
2. फैसला दिनांक 24/04/2017
3. उक्त स्वीकृति एक वर्ष तक मान्य होगी।
4. उक्त स्वीकृति मात्र आवासीय/व्यावसायिक प्रयोजनार्थ स्वीकृत
5. वर्षाती जल संग्रहण हेतु टाका निर्माण करवाना आवश्यक हैं।

15.5.17

कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका बाड़मेर

आयुक्त
नगरपालिका, बाड़मेर

PROPOSED COMMERCIAL & RESIDENTIAL BUILDING PLAN OF SH.PRAKASH CHAND S/O SH.BHANWAR LAL JAIN AT,CHOHTAN ROAD, OPP.DENA BANK,BARMER SCALE - 1:200

0100864

PREPARED BY
BHUVNESH SHARMA
PLANNER DESIGNER & VASTU CONSULTANT
RUDRA CREATIONS
BEHIND POLICE KOTWALI BARMER
MOB:- +91 9414107454

SIGNATURE OF OWNER

(SIGNATURE MUNICIPAL BOARD)

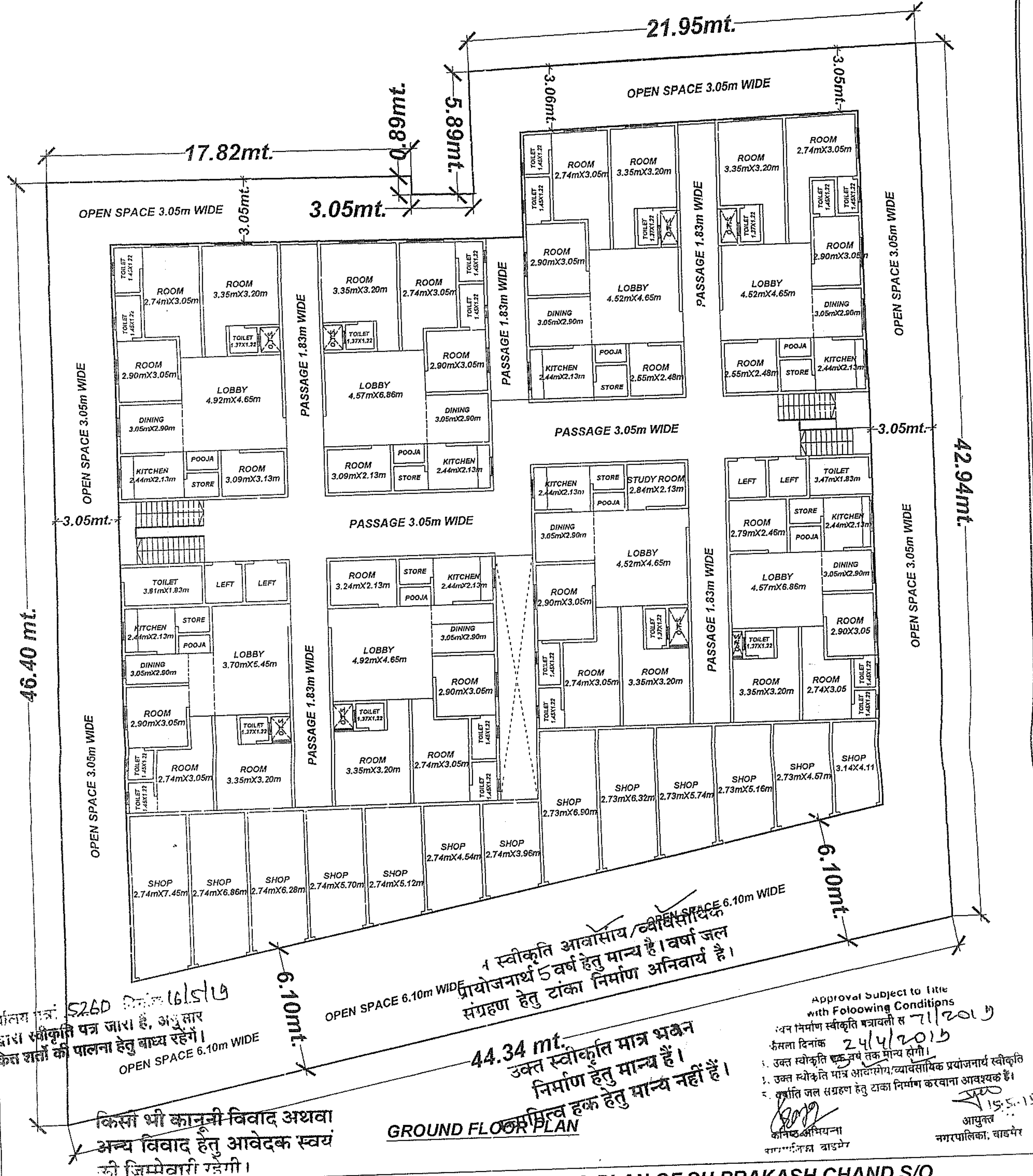

GROUND FLOOR PLAN

PROPOSED COMMERCIAL & RESIDENTIAL BUILDING PLAN OF SH.PRAKASH CHAND S/O SH.BHANWAR LAL JAIN AT,CHOHTAN ROAD,OPP.DENA BANK,BARMER SCALE - 1:200

TOTAL PLOT AREA - 20566.95 Sq.Ft.(1910.67) Sq.Mt. (2285.21 Sq.Yrd.)

BUILDUP COMMERCIAL AREA(GROUND FLOOR) - 2473.91 Sq.Ft.(229.83 Sq.Mt.)

BUILDUP RESIDENTIAL AREA(GROUND FLOOR) - 7959.80 Sq.Ft.(739.48 Sq.Mt.)

PLOT AREA - 1910.67 Sq.Mt.(2285.14 Sq.Yrd.)

BUILDUP AREA(GROUND FLOOR) - 1286.88 - 317.57 = 969.31 Sq.Mt.

- 969.31/1910.67 = .50 FAR

2100861

PREPARED BY
BHUVNESH SHARMA
PLANNER,DESIGNER & VASTU CONSULTANT
RUDRA CREATIONS
BEHIND POLICE KOTWALI,BARMER
MOB.- +91-9414107454

SIGNATURE OF OWNER

(SIGNATURE MUNICIPAL BOARD)

107

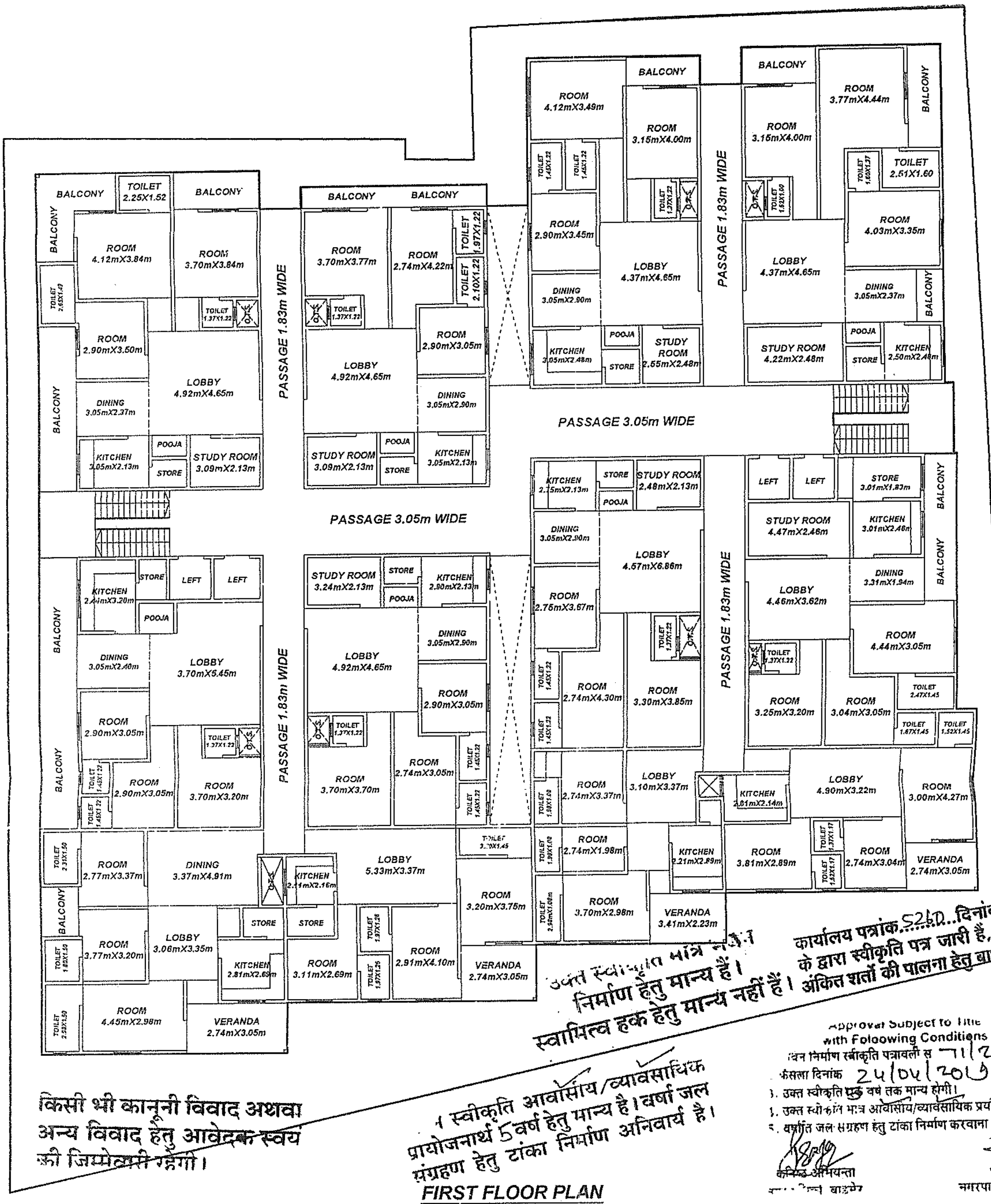

किसी भी कानूनी विवाद अथवा
अन्य विवाद हेतु आवेदक स्वयं
की जिम्मेदारी रहेगी।

उक्त स्वीकृति मात्र ...
निर्माण हेतु मान्य हैं।
स्वामित्व हक हेतु मान्य नहीं हैं।

कार्यालय पत्रांक 5260 दिनांक 16/5/19
के द्वारा स्वीकृति पत्र जारी हैं, अनुसार
अंकित शर्तों की पालना हेतु बाध्य रहेंगे।

... स्वीकृति आवासीय/व्यावसायिक
प्रायोजनार्थ 5 वर्ष हेतु मान्य है। वर्षा जल
संग्रहण हेतु टांका निर्माण अनिवार्य है।

Approval Subject to Title
with Foloowing Conditions
... निर्माण स्वीकृति पत्रावली स 71/2019
फैसला दिनांक 24/04/2019
1. उक्त स्वीकृति ... वर्ष तक मान्य होगी।
2. उक्त स्वीकृति मात्र आवासीय/व्यावसायिक प्रयोजनार्थ स्वीकृति
3. वर्षात जल संग्रहण हेतु टांका निर्माण करवाना आवश्यक है।

कनिष्ठ अभियन्ता
... बाड़मेर

15.5.19
आयुक्त
नगरपालिका, बाड़मेर

FIRST FLOOR PLAN

PROPOSED COMMERCIAL & RESIDENTIAL BUILDING PLAN OF SH.PRAKASH CHAND S/O SH.BHANWAR LAL JAIN AT,CHOHTAN ROAD,OPP.DENA BANK,BARMER

SCALE - 1:200

TOTAL PLOT AREA - 20566.95 Sq.Ft.(1910.67) Sq.Mt.
(2285.21 Sq.Yrd.)
BUILDUP RESIDENTIAL AREA(FIRST FLOOR) - 12940.80 Sq.Ft.(1198.52 Sq.Mt.)

PLOT AREA - 1910.67 Sq.Mt.(2285.14 Sq.Yrd.)
BUILDUP AREA(FIRST FLOOR) - 1286.88 - 88.36 = 1198.52 Sq.Mt.
- 1198.52/1910.67 = .62 FAR

0100868

PREPARED BY
BHUVNESH SHARMA
PLANNER,DESIGNER & VASTU CONSULTANT
RUDRA CREATIONS
BEHIND POLICE KOTWALI,BARMER
MOB. - +91-9414107454

SIGNATURE OF OWNER

(SIGNATURE MUNICIPAL BOARD)

(18)

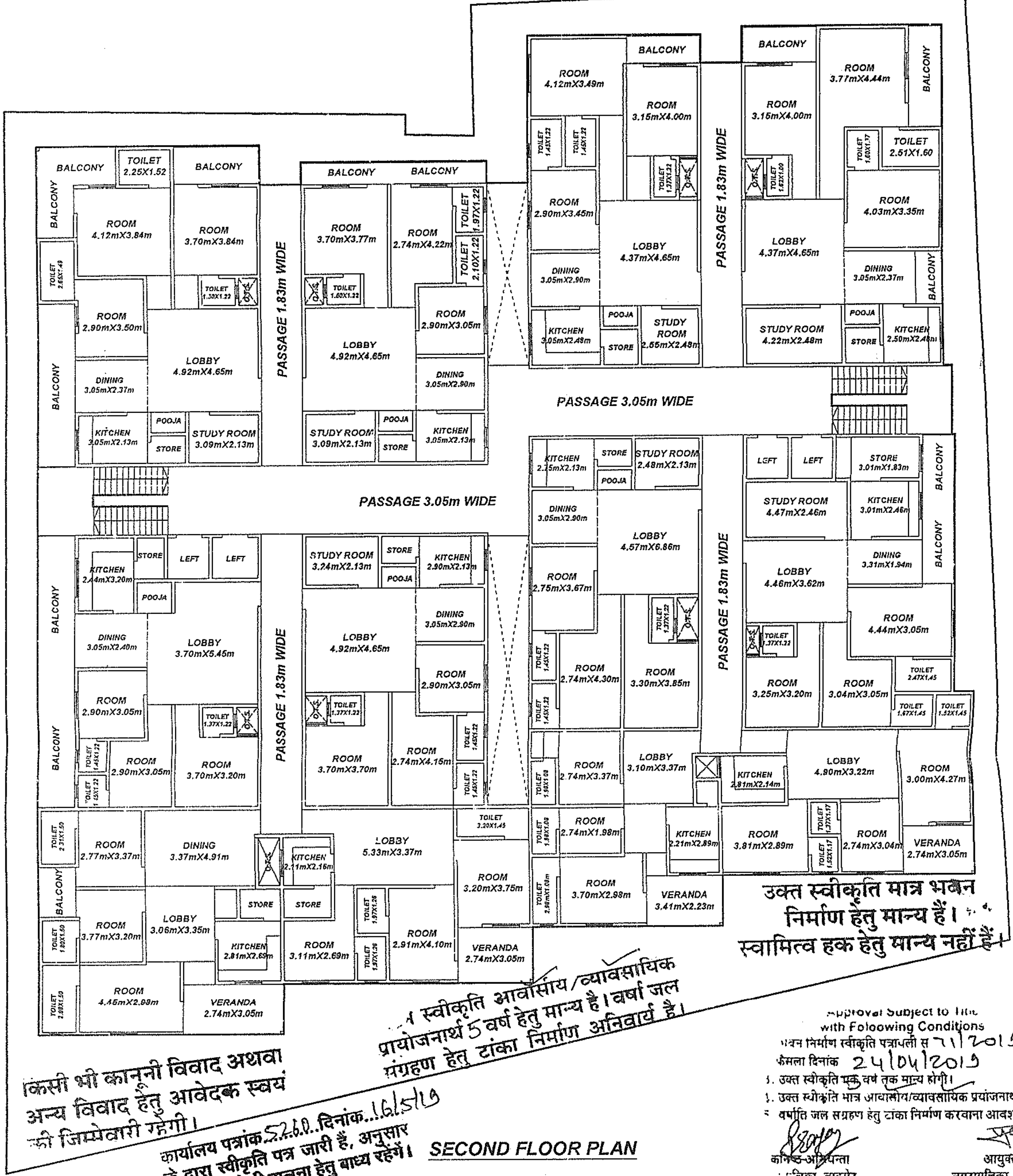

उक्त स्वीकृति मात्र भवन निर्माण हेतु मान्य हैं। स्वामित्व हक हेतु मान्य नहीं हैं।

उक्त स्वीकृति आवासीय/व्यावसायिक प्रायोजनार्थ 5 वर्ष हेतु मान्य है। वर्षा जल संग्रहण हेतु टांका निर्माण अनिवार्य है।

किसी भी कानूनी विवाद अथवा अन्य विवाद हेतु आवेदक स्वयं की जिम्मेवारी रहेगी।

कार्यालय पत्रांक 5260 दिनांक 16/5/19 के द्वारा स्वीकृति पत्र जारी हैं, अनुसार अंकित शर्तो की पालना हेतु बाध्य रहेंगे।

SECOND FLOOR PLAN

Approval Subject to Title
with Foloowing Conditions
भवन निर्माण स्वीकृति पत्रावली स 71/2019
फैसला दिनांक 24/04/2019
1. उक्त स्वीकृति एक वर्ष तक मान्य होगी।
2. उक्त स्वीकृति मात्र आवासीय/व्यावसायिक प्रयोजनार्थ स्वीकृति
3. वर्षाति जल संग्रहण हेतु टांका निर्माण करवाना आवश्यक है।

कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका बाड़मेर — आयुक्त, नगरपालिका, बाड़मेर 15.5.19

PROPOSED COMMERCIAL & RESIDENTIAL BUILDING PLAN OF SH.PRAKASH CHAND S/O SH.BHANWAR LAL JAIN AT,CHOHTAN ROAD,OPP.DENA BANK,BARMER

SCALE - 1:200

TOTAL PLOT AREA - 20566.95 Sq.Ft.(1910.67) Sq.Mt. (2285.21 Sq.Yrd.)
BUILDUP RESIDENTIAL AREA(SECOND FLOOR) - 12940.80 Sq.Ft.(1198.52 Sq.Mt.)

PLOT AREA - 1910.67 Sq.Mt.(2285.14 Sq.Yrd.)
BUILDUP AREA(SECOND FLOOR) - 1286.88 - 88.36 = 1198.52 Sq.Mt.
- 1198.52/1910.67 = .62 FAR

02/00864

PREPARED BY
BRIJESH SHARMA
PLANNER/DESIGNER & VASTU CONSULTANT
RUDRA CREATIONS
BEHIND POLICE KOTWALI,BARMER
MOB.- +91-9414107454

SIGNATURE OF OWNER

(SIGNATURE MUNICIPAL BOARD)

(10)

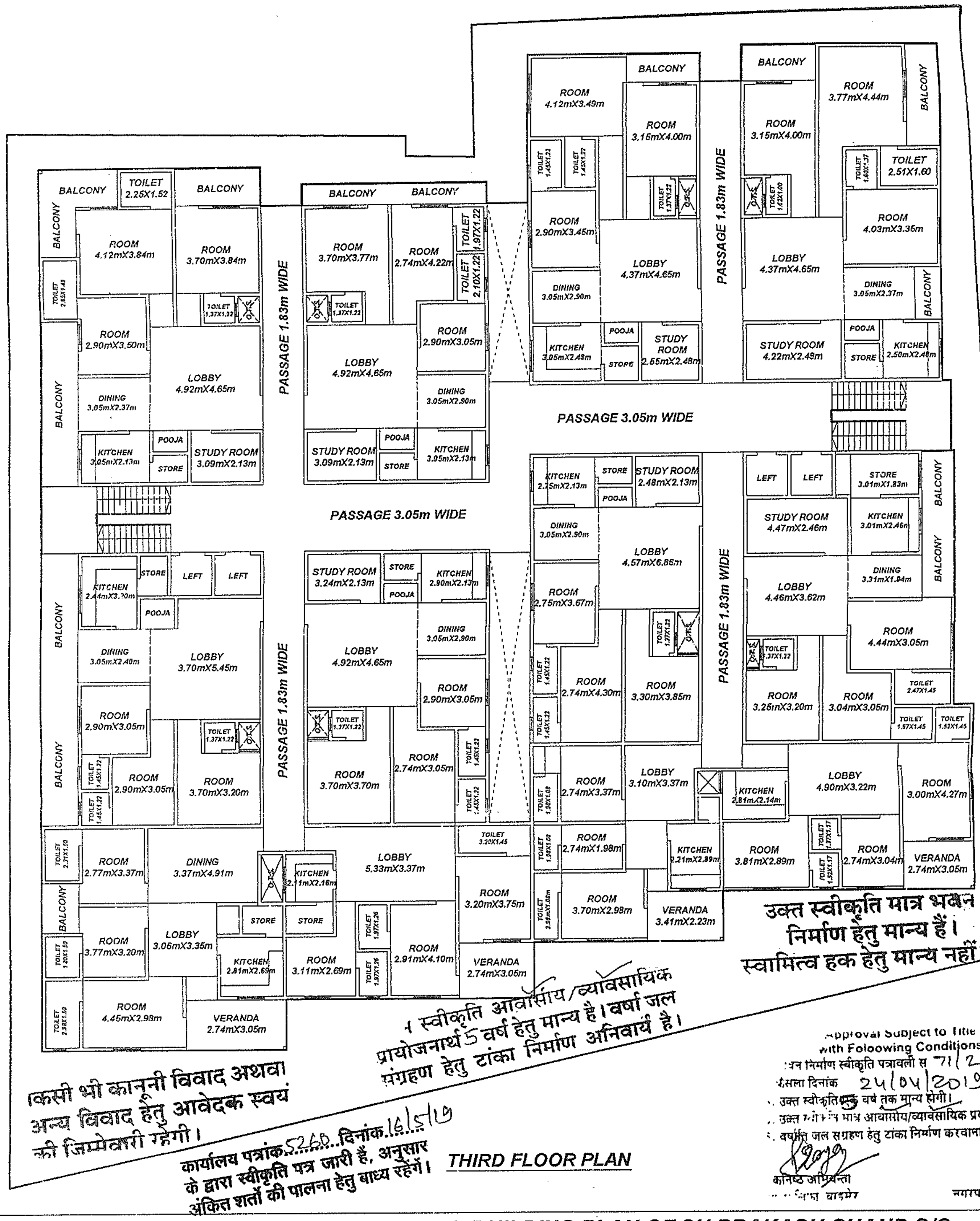

उक्त स्वीकृति मात्र भवन निर्माण हेतु मान्य हैं।
स्वामित्व हक हेतु मान्य नहीं हैं।

स्वीकृति आवासीय/व्यावसायिक प्रायोजनार्थ 5 वर्ष हेतु मान्य है। वर्षा जल संग्रहण हेतु टांका निर्माण अनिवार्य है।

किसी भी कानूनी विवाद अथवा अन्य विवाद हेतु आवेदक स्वयं की जिम्मेवारी रहेगी।

कार्यालय पत्रांक 5260 दिनांक 16/5/19 के द्वारा स्वीकृति पत्र जारी है, अनुसार अंकित शर्तों की पालना हेतु बाध्य रहेंगे।

THIRD FLOOR PLAN

Approval Subject to Title with Foloowing Conditions
भवन निर्माण स्वीकृति पत्रावली स 71/2019
फैसला दिनांक 24/04/2019
1. उक्त स्वीकृति 5 वर्ष तक मान्य होगी।
2. उक्त स्वीकृति मात्र आवासीय/व्यावसायिक प्रयोजनार्थ स्वीकृति
3. वर्षा जल संग्रहण हेतु टांका निर्माण करवाना आवश्यक है।

कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका बाड़मेर — 15.5.19 आयुक्त, नगरपालिका, बाड़मेर

PROPOSED COMMERCIAL & RESIDENTIAL BUILDING PLAN OF SH.PRAKASH CHAND S/O SH.BHANWAR LAL JAIN AT,CHOHTAN ROAD,OPP.DENA BANK,BARMER SCALE - 1:200

TOTAL PLOT AREA - 20566.95 Sq.Ft.(1910.67) Sq.Mt.
(2285.21 Sq.Yrd.)
BUILDUP RESIDENTIAL AREA(THIRD FLOOR) - 12940.80 Sq.Ft.(1198.52 Sq.Mt.)

PLOT AREA - 1910.67 Sq.Mt.(2285.14 Sq.Yrd.)
BUILDUP AREA(THIRD FLOOR) - 1286.88 - 88.36 = 1198.52 Sq.Mt.
- 1198.52/1910.67 = .62 FAR

02100869

PREPARED BY
BHUVNESH SHARMA
PLANNER,DESIGNER & VASTU CONSULTANT
RUDRA CREATIONS
BEHIND POLICE KOTWALI,BARMER
MOB:- +91-9414107454

SIGNATURE OF OWNER

(SIGNATURE MUNICIPAL BOARD)

10